फारम सं0-563

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
5-12-22	अभिलेख उपस्थापित। (1.) गिरधारी तुरी, (2.) बिशुन तुरी दोनों के पिता स्व0 महावीर तुरी, (3.) रूदन तुरी पिता स्व0 मनु तुरी, (4.) खेमनी मोसोमात पति स्व0 गंगा तुरी एवं (5.) तालो तुरी पिता स्व0 रामधनी तुरी, निवास स्थान ग्राम-भेलवारा, पोस्ट-भेलवारा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-चेहला, थाना नं0-247, खाता संख्या-33, प्लॉट संख्या-97, रकवा 1.20 एकड़ (120 डिसमिल) (एक एकड़ बीस डिसमिल) भूमि इन्दु चन्द्रा पति सतिश चन्द्रा एवं दीपक कुमार पिता कन्हैया राम, निवास स्थान ओकनी भुइंया टोली, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाई आवेदन Acknowledgement No. RCMSON22028321 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-663/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3442/रा0 दिनांक 13.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1798 दिनांक 14.11.2022 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार - क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती (टॉड तीन) है। खतियान विक्रेतागण के परदादा लट्टु तुरी वल्द ललीत तुरी के नाम से दर्ज है। खतियान के अनुसार खारित कुल रकवा 3.0150 एकड़ भूमि है। पंजी-।। अनुसार धारित कुल रकवा 3.0150 एकड़ भूमि है, जिसकी जमाबंदी पृष्ठ संख्या 63/I पर लट्टु तुरी के नाम से दर्ज है। लगान वर्ष 2021-22 तक निर्गत् है। विक्रेता संख्या-1 एवं 2 खतियानी रैयत के छरपोता वो विक्रेता संख्या-3 के परपोता, विक्रेता संख्या-4 के परपौत्र वधु वो विक्रेता संख्या-5 के परपोता एवं जमाबंदी रैयत के छरपोता, परपोता, परपौत्रवधु है। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 1.20 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी ता
1	2	

1.8150 एकड़ भूमि बचेगी। विक्रेतागण को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि विक्रेतागण के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को नारंगी रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) गिरधारी तुरी, (2.) बिशुन तुरी दोनों के पिता स्व0 महावीर तुरी, (3.) रूदन तुरी पिता स्व0 मनु तुरी, (4.) खेमनी मोसोमात पति स्व0 गंगा तुरी एवं (5.) तालो तुरी पिता स्व0 रामधनी तुरी, निवास स्थान ग्राम-भेलवारा, पोस्ट-भेलवारा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-चेहला, थाना नं0-247, खाता संख्या-33, प्लॉट संख्या-97, रकवा 1.20 एकड़ (120 डिसमिल) (एक एकड़ बीस डिसमिल) भूमि इन्दु चन्द्रा पति सतिश चन्द्रा एवं दीपक कुमार पिता कन्हैया राम, निवास स्थान ओकनी भुइंया टोली, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.12.29 14:22:20 +05:30
Location: 192.168.0.111